तम्ब रसीद संख्या २६० (3) (यह प्रति लेख्य-पत्र/पेश करने वाले अपने पास रहने देंगे)	
(प्राप्त हुई फीस के लिए रसीब) 1. पेण करने वाले या आवेदन देने वाले का नाम की किरम 2. लेख्य-पत्र की किरम 3. विवरण फीस जो प्राप्त हुई : कि किरम क. फीस रजिस्ट्री : स्पर्य पंसे (1) साधारण फीस रजिस्ट्री (2) लेख्य-पत्र की पुस्तक में प्रतिलिपि करने की फीस (3) धारा 64 से 67 के अनुसार ज्ञापन जारी करने की फीस ख. खारा 57 के अनुसार प्राधियों के प्रविष्ट लेखों की प्रतिलिप	333
देने की फीस ग. विविध फीस: (1) साधारण अथवा विशेष अधिकार-पत्र प्रमाणीकरण फीस (2) धारा 62 के अनुसार अनुवाद प्रस्तुत करने को फीस (3) धारा 25 व 34 के अनुसार देर से लेख्य-पत्र प्रस्तुत होने अथवा सम्पादनकर्ता इत्यादि के उपस्थित होने के कारण चुकाई हुई फीस (4) कमीणन तथा घर जाने की फीस तथा भत्ता (5) रजिस्ट्रार द्वारा रजिस्ट्री करने पर अतिरिक्त फीस	/ /
(6) संरक्षरण फीस (7) मोहरबंद लिफाफे (जिसमें वसीयत-पत्र रखा हो) की अमानत रखने, वापिम लेने अथवा खोलने की फीस (8) पुस्तक का निरीक्षण अथवा तलाशी की फीस (9) अन्य विविध प्रकार की आय (जिसकी रद्दी पदार्थी की बिक्री इत्यादि की आय सम्मिलित है)	0
फीस के प्राप्त होने की तारीकी प्राप्त निवास की तारीकी प्राप्त विश्व पाने के हस्ताक्षर और लौटाये जाने या पाने की तारीख रिजस्ट्री करने वीस अफलर के हस्तीक्षर	



विकय पत्र तादादी 1,20,000/- रूपया स्टाम्प कीमती 1000/- रूपया

यह विकय पत्र आज दिनांक 24/05/2013 ई० को निम्न पक्षकारान् के मध्य मावली में निम्न प्रकार निष्पादित किया गया :-

थ्वकेता:-

- 1. श्री शम्भुदास पिता श्री लालदास जी जाति वैरागी उम्र 40 वर्ष निवासी मावली तह0 मावली जिला उदयपुर (राज.)
- 2. श्री दिनेशदास पिता गमेरदास जी जाति वैरागी उम्र 30 वर्ष निवासी गोविन्दनगर, बी-7 कांकरोली जिला राजसमन्द (राज.)

---प्रथमपक्षकार

केता:-

श्री सुरेश पिता श्री लक्ष्मीलाल जी जाति सोनी उम्र बालिंग निवासी 3, हीराबाग कॉलोनी, तुलसी गार्डन के पास, उदयपुर तह0 गिर्वा जिला उदयपुर (राज.)








- द्वितीयपक्षकार

छप पंजियक, मावला जिला चैदयपुर (राज.)



2 TENIGACIÓN 2-1/2

आक दिवाक 24 माह 5 सन् 12 के विद्या से बाव से बाव के कार्या उप बेनियक, मावली के कार्यालय में श्री/श्रीमती श्री श्रीमती श्री श्रीमती श्

उप पंजियक, मावली

वह पृष्टीकन किया जीता है कि साम क्या की अतिहिता है व शिश्व की अतिहिता है व शिश्व के . 5037. रसीट संज्या .7.36.10 विजी के .214.5.113 से प्राप्त की गई है, अंता अब उपन दस्तावेजे कुले के .613.7.4 के स्वाप्त पर विष्णादिते आजा जाने आ

क्ष वार्षाचक, भावली



यह कि प्रथमपक्षकार के स्वामित्व एवं आधिपत्य की आवासीय भूमि मोजा मावली पटवार हल्का मावली, तहसील मावली जिला उदयपुर (राज0) में स्थित है जिसके आराजी संख्या 1871 रकबा 1 बीघा 17 बिश्वा में से 1 बीघा 10 बिश्वा कुल किता 1 रकबा 1–10 बीघा यानि की 2429 वर्गमीटर भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ रूपान्तरण का संपरिवर्तन आदेश कार्यालय तहसीलदार मावली जिला उदयपुर (राज0) द्वारा जरिये कमांक एफ (36) रीडर/ भू.रू./ग्राम./2013/72 दिनांक 13.03.2013 को श्री शम्भुदास पिता श्री लालदास जी जाति वैरागी उम 40 वर्ष निवासी मावली तह0 मावली जिला उदयपुर (राज.) एवं श्री दिनेशदास पिता गमेरदास जी जाति वैरागी उम 30 वर्ष निवासी गोविन्दनगर, बी–7 कांकरोली जिला राजसमन्द (राज.) के नाम से जारी किया गया जिसका चालान संख्या 904 दिनांक 25.02.2013 को चालान राशि 36530/— रूपया जमा करा दिया है। उपरोक्त आराजी प्रथमपक्षकार के नाम की 1–10 बीघा आबादी भूमि यानि 2429 वर्गमीटर आबादी भूमि है।

उक्त भूमि राजस्व ग्राम मावली पटवार हल्का मावली तह0 मावली जिला उदयपुर में स्थित है जिस पर विकेता प्रथमपक्षकार एवं अन्य खातेदारों ने मिलकर गोकुलधाम नामक आवासीय योजना बनाई, जिसमें सडक मार्ग की जगह छोडते हुए भूखण्डों की संरचना की है, जिसमें से प्रथमपक्षकार के हिस्से में आये आबादी आवासीय भूखण्डों को हस्तान्तरण एवं अन्तरण करने, दस्तावेज निष्पादित करने का मुझ प्रथमपक्षकार को पूर्ण हक व अधिकार है जिसके तहत इस विकय पत्र द्वारा आबादी आवासीय भूखण्ड संख्या 2-ए सम्पूर्ण 974 वर्गफीट है, जिसमें प्रथमपक्षकार को अपने परिवार की वैध आवश्यकता होने से उक्त भूखण्ड को द्वितीयपक्षकार को विकय हेतु प्रस्तावित किया।

यह कि उक्त वर्णित आवासीय भूमि स्टेट हाईवे एवं आबादी से 1 कि.मी. दूर तथा नगर परिषद् उदयपुर की सीमा से काफी दूर स्थित है, जिसमें बिजली, पानी, नाली की सुविधाएं अभी उपलब्ध नहीं है।

यह कि उक्त वर्णित आराजीयात नगर परिषद्, उदयपुर की सीमा से दूर तथा नगर विकास प्रन्यास की सीमा से बाहर होने से भूमि रूपान्तरण नियमों के तहत संबंधित खातेदारों ने आबादी में संपिरवर्तित कराने के लिये कार्यालय तहसीलदार, मावली के यहां आवेदन किया, जिस पर संबंधित अधिकारी, ने आराजीयात के सम्पूर्ण रकबे को आबादी में संपरिवर्तित किये जाने का आदेश जारी किए जिसका दाखिला राजस्व विभाग द्वारा किया गया है।

FAZI





2-

3-

जिला उदयपुर (राज)


राम्य हाल डाठ लालहासकी वराजी के भावली र भावली



आ/शामतोदिनी शादात
पुत्र/पत्नि श्री गर्भरदास्य प्री
जाति - दीरामी आयु ८० व्यवसाय रूपापाए-
निवाझी काकरोली हारा लेख पत्र का निष्पादन
ारना स्वीकार किया एवं प्रतिफल रूपया <u>1200</u> 0/
शबों में एक लास की इपार स्पर
पूर्व में तथा शब्दों में
हमारे सामने पुष्टि करना
स्वीकार किया ।
क्षेत्रा क
णता, निष्पादनकर्ता उप पाजराक, मावली

पुत्र श्री स्थानाशापठा जाति त्यावरी
आयु के व्यवसाय स्थापार्
निवासी भावती है। धर्मिश्री के एवं
श्री निवासी आयु क्वादशाय स्थापार्
जाति त्योदा आयु क्वादशाय स्थापार्
निवासी भावत्यी वै पहिवासी।

उप पंजियक, गावली



1/3//

यह कि उपरोक्त पेरा संख्या 5 में चौर्णत आबादी को आराजी प्रथमपक्षकार विकेता ने अपने नाम पर पट्टे जारी करा कर नक्शा मुताबिक मौके पर सड़क मार्ग आदि की जगह को छोड़ते हुए सभी ने मिलकर भूखण्ड बनाये, तथा आराजी अनुसार भूखण्ड को बेचने को सड़कों का कोसिंग हो, समानता बनी रहें, तथा खरीदारों का अपना टाईटल मिलें, निर्माण स्वीकृति लैने एवं विविध संस्थानों से ऋण सुविधा लेने में आसानी रहे आदि आदि बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए एक बड़ा प्रोजेक्ट मिलकर बनाया गया है प्रथमपक्षकार के टाईटल में किसी प्रकार की कमी नहीं है। सारी कार्यवाहीयाँ विधिवत् एवं नियमों के तहत हुई है।

यह कि मूखण्ड सख्या 2-ए सम्पूर्ण जिसका नाप कुलिया 974 वर्गफीट आवासीय होकर ग्राम मावली, तहसील मावली, जिला उदयपुर में स्थित है, जिसके पडौस निम्न प्रकार है:-

पूर्व : अन्य कृषि भूमि

पश्चिम : प्लानिंग का 30 फीट चौडा रास्ता

उत्तर : भूखण्ड संख्या 1

दक्षिण : भूखण्ड संख्या 2-बी

उक्त चारों पडोस के मध्य स्थित भूखण्ड सर्ख्या 2-ए सम्पूर्ण जिसका कुलिया क्षेत्रफल 974 वर्गफीट जिसे इस विकय पत्र द्वारा आप द्वितीयपक्षकार को विकय किया जा रहा है। जो सलंग्न नक्शे में मय नाप एवं पडोसों के दर्शाया गया है तथा सुर्ख लाल रंग से मार्क किया गया है जो इस विकय पत्र का अभिन्न अंग रहेगा तथा माना जावेगा।

यह कि विकेता प्रथमपक्षकार उक्त पैरा सं. 5 में वर्णित नाप एवं पडोस का भूखण्ड मय हक-हकुक, निसार-पेसार, सुखाधिकारों एवं मालिकाना हक सहित तथा भुमितल से आकाश तक के हक, अधिकारों सहित आप केता द्वितीयपक्षकार को बिल एवज रूपया 1,20,000/— अक्षरे एक लाख बीस हजार रूपयों में विकय करना स्वीकार कर विकय मूल्य की कुलिया राशि नगद पूर्व में फर्दन फर्दन प्राप्त कर ली है। अब कोई राशि लेना बकाया नहीं है। रूपया प्राप्तिगी की अभिस्वीकृति वक्त रिजस्ट्री रूबरू सब रिजस्ट्रार साहब के समक्ष प्रथमपक्षकार विकेता कर दूंगा। उक्त भूमि का कब्जा आप द्वितीयपक्षकार को सौंप दिया। द्वितीयपक्षकार ने वास्तविक रूप से कब्जा पा लिया। इसके मुत्तलिक कुलिया कागजात आप द्वितीयपक्षकार को सौंप दिये।



6-

5-

ठप पजियक, मावली इस्ला ७६४५**र (राज**्र) 7-

यह कि कुलिया रकम प्राप्त कर आज दिनांक को विकय किए जा रहे भूखण्ड पर कब्जा आप केता को सिपुर्द कर दिया है। आज से आप केता विकेता के बजाय मालिक काबिज बन गए है, जिसको उपयोग उपभोग करे, लागत लगावे, निर्माण करावे तथा भविष्य में अन्य किसी व्यक्ति को रहन, बैह, बिक्षस करे एवं लाम प्राप्त करें। साथ ही आज आप केता को संपरिवर्तन आदेश नक्शें की फोटोप्रति तथा सम्बन्धित आराजीयात के खरीद दस्तावेज की फोटो प्रति सिपुर्द कर दिये है। जो टाईटल के सबुत है।

8-

यह कि इस विकय पत्र द्वारा आप केता सम्बन्धित ग्राम में आवेदन कर उक्त भूखण्ड अपने नाप पर अंकित करावे तथा, बिजली पानी के कनेक्शन लेवें तथा अन्य सुख सुविधाएं प्राप्त करे। केता आज के बाद लगने वाला टेक्स, शुल्क अदा करेगें।

9-

यह कि प्रथमपक्षकार को उक्त भूखण्ड हर प्रकार से हस्तान्तरित करने के अधिकार प्राप्त है। इस पर किसी बैंक, सरकारी विभाग या वित्तिय संस्थाओं से ऋण सुविधा प्रथमपक्षकार ने नहीं ले रखी हैं, वर्तमान में इस पर कोई टेक्स नहीं लगता है। सिलिंग एवं शहरी सिलिंग कानून से मुक्त है। किसी भी सरकारी विभाग या न्यायालय में मामला विचाराधीन नहीं है। आज तारीख पूर्व उक्त विकीत भूखण्ड आप केता के अलावा अन्य किसी व्यक्ति को रहन, बैह, बक्षीस नहीं किया गया है और न ही किसी प्रकार का इकरार ही किया गया है। यानि हर प्रकार के ऋण एवं भार से मुक्त है।

10-

यह कि आज दिनांक तक जो हक अधिकार प्रथमपक्षकार विकेता को प्राप्त थे वे सभी आज दिनांक से आप केता में निहित हो गए है। अब उक्त भूखण्ड में प्रथमपक्षकार का कोई हक एवं हिस्सा नहीं रहा है। आप केता संपरिवर्तन आदेश में दी गई शर्तो एवं निर्देशों की पालना करेगें। नक्शे में दर्शायी गई सडक की चोडाई प्रस्तावित है जो कि मौके पर विकेता की आराजीयात में से प्लान के अनुसार छोडी गई है। जिसके उपयोग उपभोग का अधिकार सभी केतागणों को है।

11-

यह कि विकीत भूखण्ड का क्षेत्रफल पूर्णतः या आंशिक प्रथमपक्षकार के स्वामित्व, अधिपत्य या टाईटल की कमी के कारण या किसी कानूनी प्रक्रिया की कमी के कारण या अन्य व्यक्ति द्वारा उठाए गए उजर एतराजों के कराण आप केता के अधिपत्य से निकल गया या नुकसान उठाना पडा तो प्रथमपक्षकार अपने स्तर पर स्वयं के खर्च से निपटाएगा। आप केता को कोई नुकसान नहीं होने देगा।

खप पंजियक, मावली जिला उदयपुर (राज)



12-

यह कि इस विकय पत्र के निष्पादन में होने वाला समस्त व्यय, मुंदाक शुल्क, पंजीयन शुल्क, व वकील महनताना या अन्य शुल्क कुलिया प्रथमपक्षकार स्वयं ने वहन किया है।

13-

यह कि उक्त विकीत भूखण्ड पर किसी भी प्रकार का कोई वाद विवाद नहीं होकर न्यायालय के स्थगन आदेश से मुक्त है।

लिहाजा यह विकय पत्र आज दिनांक को प्रथमपक्षकार ने आप द्वितीयपक्षकार के हक में राजी खुशी स्वेच्छा से बिना किसी डर व दबाव के पूर्ण होश हवाश की अवस्था में, विकीत सम्पत्ती का भौतिक कब्जा सिपुर्द कर स्वथ्य चित्त, स्थिरबुद्धि, की अवस्था में सोच समझकर पढ, सुन कर निम्नलिखित साक्षीगण के समक्ष निष्पादित कर विकय पत्र पर अपने हस्ताक्षर कर दिये है जो

सही सनद रहे वक्त जरूरत काम आवें।

मावली

ह० प्रथमपक्षकार

21724TV

ह0द्वितीयपक्षकार

साक्षी

दिनांक :

स्थान :

Brann one

श्री गिरिराज पिता श्री सत्यनारायण जी लावटी उम्र वयस्क निवासी मावली तह0 मावली जिला उदयपुर (राज०)

2-

श्री निर्मल पिता श्री धर्मेशचन्द्र जी लोढा उम्र वयस्क निवासी मावली तह0 मावली जिला उदयपुर (राज०) magnagne!

दिनांक :


24.05.2013

स्थान :

मावली



ह० प्रथमपक्षकार 21886414



जिला उदयपुर (राज)




पजीयन का प्रमाण-पत्र

आज दिनांक 24 ज 5 ज 13 का पुस्तक संख्या 16 का पुस्तक संख्या 16 का 718/13 पर पजीबद्ध किया गया। जिल्हां का 16 पर परमा क्या गया।

उप पंजियक, मावली







दिनांक :

24.05.2013

स्थान :

मावली

ह० प्रथमपक्षकार

वाम्बर दाप

(2-12)



ह0द्वितीयपक्षकार



उप पंजियक, मावली बिला बदयपुर (राज्)

फार्म बी देखिये नियम 9 (3) (4) और (6) कार्यालय तहसीलदार मावली जिला उदयपुर (राज.)

36) रीडर/भू रु./ग्रा./13/72

दिनांक:-13/3/2013

-:संपरिवर्तन आदेश :-

शम्भुदास पिता लालदास वैरागी निवासी मावली तह0 मावली, दिनेशदास पिता गमेरदास वैरागी निवासी गोविन्दनगर बी-7 कांकरोली जिला राजसमन्द के प्रार्थना पत्र पर उसकी खातेदारी अभिघृति में धारित कृषि भूमि को नियम 9 के अन्तर्गत राजस्थान भू-राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजन के लिए संपरिवर्तन) नियम 2007 के संशोधित नियम 2012 के अन्तर्गत

के पर	(ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजन के लि गोजन के लिए इसके द्वारा संपरिवर्तन किया जाता है। जि	सका विशिष्टिया नाय पा पर स
	आवेदक खातेदार अभिधारी का नाम, पिता/पात क	मावली, दिनेशदास पिता गमेरदास वैरागी निवासी गोविन्दनगर
	नाम सहित तथा पूरा पता	बी-7 कांकरोली जिला राजसमन्द
,	क्या आवेदक अनुसूचित / जनजाति का सदस्य है।	सामान्य ग्राम मावली ग्राम पंचायत मावली तहसील मावली
2	संपरिवर्तन की जाने वाली भूमि का ब्यौरा	ग्राम मावली ग्राम पंचायत मायला तहराति गाउरा
	गाम / गाम पंचायत / तहसील का नाम	आ.नं. 1871 रकवा 1.17 बीघा में से 1.10 बीघा किता 1
	2- भूमि का खसरा नं. और प्रत्येक खसरा संख्या का	0 - 2 - 10 31511
	भैचार्च (हेक्टर / त मी में)	रकबा 1.17 बीघा में से 1.10 बीघा आ.नं. 1871 रकबा 1.17 बीघा में से 1.10 बीघा किता 1
	3 प्रत्येक खसरा संख्या (क्षेत्रफल को उपदाशत करत	T T 4 40 2111 2117 2480 41 110
	हुए संपरिवर्तन (क्षेत्रफल हेक्टर / वर्गमीटर में)	रकेबी 1.17 बाधी ने से 1.10 पता की सम्यक रूप से सत्यापित
(टिप्प	णी अकृषि प्रयोजन के लिये संपरिवर्तित भूमि को दशति हु	ए राजस्व नक्शे के सुसंगत भाग की सम्यक रूप से सत्यापित
प्रति ः	संलग्न है)	
4	संपरिवर्तन का प्रयोजन	े कि मा जीतिया देश की 3 अलि.
5	संदेय प्रिमीयम की दर	5/-रू. प्रति वर्गमा. या डा.एस.सा. प्र रजिस्टर्ड विकय पत्र की खरीद दर अनुसार जो तीनों में से
'		A +
	क्रिक स्थित जा कराई गई	मर 0029 चा.सं. 904 दिनाक 25.02.2013
6	चालान की संख्या तथा तारीख सहित जमा कराई गई	भू-राजस्व राशि 36530/-रू.
	प्रिमीयम की रकम	
		कुल योग 36530 / - रू.
	चालान की संख्या तथा तारीख सहित शास्ति, यदि	नहीं
7	र के नाम क्यारे गर रकम	•
	कोई हा, की जैसी कराई पर रिक्टिंग व्याज यदि कोई	नहीं
8	े ज्या क्यार्ट गर्ट एकम	
•9	हां, की जमी करोड़ गई एक नियं नियम 13 के	हॉ
9	441 011411 11111	
	अधीन जारी किया गया है। अन्य विशिष्टियां यदि कोई हो	

11. उपर्युक्त संपरिवर्तन आदेश निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन होगा :--

1. उपर्युक्त अकृषि प्रयोजन के लिये संपरिवर्तित भूमि का उपयोग विहित प्राधिकारी की पूर्व अनुमति प्राप्त किये बिना किसी अन्य

यदि आवेदक इस आदेश के जारी होने की तारीख से 5 वर्ष की कालाविध के भीतर संपरिवर्तित प्रयोजन के लिये भूमि का उपयोग करने में विफल रहता है तो अनुज्ञा प्रत्याहूत कर ली जायेगी और आवेदक द्वारा जमा कराया गया प्रिमीयम धन सम्पह्त हो

3. नियम-4 में यथा वर्णित भूमि का उपयोग अन्य अकृषि प्रयोजन के लिये नहीं किया जायेगा। जक्त संपरिवर्तन भूमि जिस प्रयोजन के लिये संपरिवर्तित की गई है उस भूमि के किसी भाग का अन्य किसी अकृषि प्रयोजन के

लिये उपयोग विहित प्राधिकारी से विधि मान्य अनुज्ञा प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।

5. निर्धारित सड़क मार्गाधिकार नेशनल रोड़ कांग्रेस एवं भूतल परिवहन मंत्रालय के निर्देश एवं राज्य सरकार के सार्वजनिक निर्माण विभाग के निर्देश अनुसार राष्ट्रीय राजमार्ग/राजमार्ग/अन्य मार्ग से कमशः 40/35/20 भीटर एवं ग्रामीण सड़क से निर्घारित दूरी छोड़ कर ही कार्य कर सकेगें। नजरी नक्षा अनुसार प्रस्तावित रास्ता अभिलेख में पुख्ता दर्ज कराने का उत्तरदायित्व आवेदक खातदार का हाना।

6. भविष्य में यदि किसी प्रकार की राजस्व आदि देय होने पूर पूर्णि जुमा कराने हेतु बाध्य होगा ।

7. जिस प्रयोजनार्थ भूमि संपरिवर्तित की जा रही है. उसके विषे प्रार्थी का संबंधित विभाग स्थानीय निकाय से अनापत्ति/ स्वीकृति

7. जिस प्रयोजनार्थ भूमि संपरिवर्तित की जा रही हैं?

तहसीलदार माबली जिला उदयपर

जिला उदयप्

आदि प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

1. जिला कलक्टर महोदय, उदयपुर की सेवामें सूचनार्थ 3. सरंपच, ग्राम पंचीयत

2. तहसील राजस्व लेखाकार,मावली

5. प्रार्थी अम्भुदास पिता लालदास वैरागी नि. मावली, दिनेशदास पिता गमेरदास जी वैरागी निवासी गोविन्दनगर बी—7 कांकरोली 4 पटवारी हल्का मावली ाहसीलदार-मावली त्रहासावती

